126

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

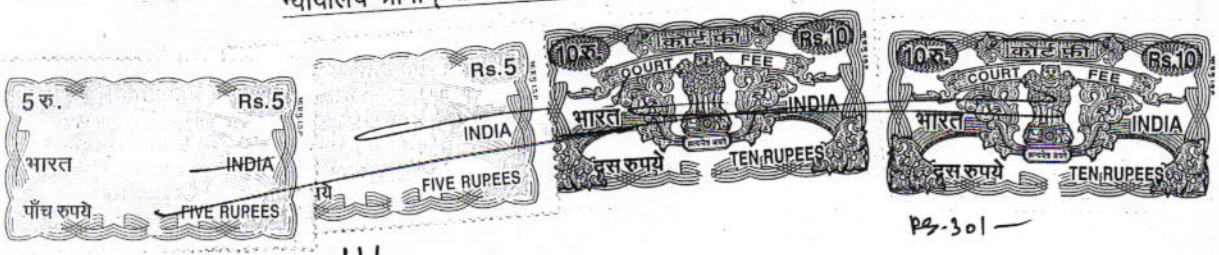

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R- 5082-II/16

1. खिरोधन साहू तनय स्व0 भोंदू साहू उम्री– 30 वर्ष,
2. श्यामलाल साहू तनय स्व0 भोंदू साहू उम्री– 28 वर्ष,
3. नेमलाल साहू तनय स्व0 भोंदू साहू उम्री– 40 वर्ष,
4. महिला गेंदिया साहू पत्नी स्व0 भोंदू साहू उम्री– 62 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम– कोटा, तह0– कुसमी, जिला– सीधी (म.प्र.)

---------- निगरानीकर्तागण

बनाम

1. गुलाबकली देवी दुबे पुत्री सहदेव राम ब्रा0 उम्री– 57 वर्ष, कथित निवासी ग्राम– कोटा तह0– कुसमी, जिला– सीधी (म.प्र.) यथार्थ निवासी ग्राम– रहट, थाना– चोरहटा, तह0– हूजूर, जिला– रीवा (म.प्र.)

---------- गैरनिगरानीकर्तागण

2. म0प्र0 शासन

श्री ओ.बी. सिंह एड. द्वारा आज दिनांक 16-2-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा श्रृंखला न्यायालय सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक– 59/अपील/2014–15 आदेश दिनांक– 20.01.2016

अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि ग्राम– कोटा, तहसील– कुसमी, स्थित आराजी खसरा क्रमांक पुराना– 223/4, 273/4 योग रकवा 0.890 आवेदकगण की पुस्तैनी भूमि होकर शान्तिपूर्वक उनका कब्जा दखल चला आ रहा है तथापि आवेदकगण की गरीबी, अशिक्षा एवं आर्थिक अभाव के कारण राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि म0प्र0 शासन के स्वामित्व की दर्ज होती रही है कालान्तर में अनावेदिका जो मूलतः ग्राम– रहट, तहसील– हुजूर, जिला– रीवा की निवासी है जैसा कि उसके द्वारा स्वयं प्रस्तुत न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय के आदेश की प्रति से स्पष्ट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 5082-II/16 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. इसके आधार पर अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने अपने अपीलीय आदेश में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश को, अपर कलेक्टर द्वारा उनके न्यायालय में आवेदन लगाने में अनावेदक की ओर से हुए विलम्ब को माफ़ किये जाने को गलत मानते हुए, निरस्त किया है. उन्होंने अपर कलेक्टर के आदेश का गुण-दोष पर कोई परिक्षण कर अपने आदेश में निष्कर्ष नहीं निकाले. अपर आयुक्त द्वारा ऐसा किये जाने को मैं उपयुक्त नहीं पाता हूँ. उन्हें अपने न्यायालय के प्रकरण में अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब पर लिए जा चुके निर्णय को पुनः नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि विलम्ब के बिंदु पर निर्णय पहले ले लिया जाता है और गुणदोष पर निर्णय उसके बाद लिया जाता है. अपर आयुक्त के समक्ष (इस न्यायालय का) अनावेदक अपर कलेक्टर द्वारा विलम्ब माफ़ी किये जाने के बिंदु को लेकर नहीं गया था, बल्कि अपर कलेक्टर के गुणदोष पर लिए गए अंतिम निर्णय को लेकर गया था. ऐसे में अपर आयुक्त द्वारा बगैर अपर कलेक्टर के गुणदोष पर लिए गए निर्णय पर कोई भी विचार, विवेचना आदि कर अपने निष्कर्ष निकले, अपर कलेक्टर द्वारा विलम्ब माफ़ी किये जाने को गलत मानकर उसके आधार पर अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने का अपना आदेश पारित करना, सही नहीं था और विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था, अतः उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता. अतः, मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि २०-१-१६ एतदद्वारा निरस्त करता हूँ. साथ ही, अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र क्र ५९/अपील/१४-१५ पुनः खोलें और उसमें उनके अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश दि १२-९-१४ का	

गुणदोष पर परीक्षण करें, इस तारतम्य में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का अवसर दें, और समुचित विवेचना आदि करते हुए गुणदोष पर बोलते स्वरुप का आदेश अपने न्यायालय से पारित करें.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं अपर आयुक्त, रीवा सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य